डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश सरकार)
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)–453441 जिला–इन्दौर (म.प्र.).

Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences,

(State University, Government of M.P.)
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow)-453441 Dist-Indore (MP)

क्रमांक : ब्राउस / कुलसचिव / 2020 / 2170 दिनांक : 14.03.2020

अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली पत्र क्रमांक : एफ–14 / 2020 दिनांक 05.03.2020, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल के पत्र क्र. आई.डी.एस.पी. / 2020 / 197 दिनांक 07.03.2020 एवं उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्र. 249 / 68 / सी.सी. / 38 / 20 दिनांक 13.03.2020 के परिपालन में विश्वविद्यालय में नोवेल कोरोना वाइरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतिययात के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है –

- विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित तिथि अनुसार ही आयोजित की जाकर परीक्षाऐं सुचारू रूप से जारी रखी जावेगी।
- आगामी शैक्षणिक कार्य तत्काल प्रभाव स्थगित किये जाते है।
- विश्वविद्यालय में किसी भी संगोष्ठी, कार्यशाला एवं व्याख्यान माला का आयोजन नहीं किया जायेगा।
- बालक एवं बालिका छात्रावास तत्काल प्रभाव से खाली करा दिये जाये। केवल जिन छात्र / छात्राओं की परीक्षाऐं संचालित है वे ही होस्टल में परीक्षा समाप्त होने की दिनांक तक रूकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सभी संबंधित आदेश का अनुपालन करना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह व्यवस्था म.प्र. शासन से आगामी आदेश प्राप्त होने तक जारी रखी जावेगी। विश्वविद्यालय की ओर से सभी को आगामी आदेश वेबसाईट पर अपलोड कर सूचित कर दिया जावेगा।

M.K Tiwari
कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के निजी सचिव की ओर मान. कुलपति महो. के सूचनार्थ।
2. समस्त संकाय सदस्य / विभागाध्यक्ष की ओर इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से आगामी शैक्षणिक कार्य स्थगित करें।
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) की ओर इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित रखी जावें। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।
4. सहायक कुलसचिव (स्थापना) की ओर इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि समस्त व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित करवाये और परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित न हो ऐसी व्यवस्था सूनिश्चित करें।
5. चीफ वार्डन / सहायक वार्डन, बालक / बालिका छात्रावास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत।
6. परिसर प्रभारी की ओर इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि तत्काल बालक / बालिका छात्रावास की मरम्मत का कार्य प्रांरभ किया जाये, जिससे आगामी आदेश प्राप्त होने तक होस्टल की व्यवस्थाऐं सुचारू रूप से संचालित हो सके।
7. स्टोर विभाग की ओर इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि सभी स्थानों पर जितना भी फर्निचर हेतु प्रापर डिटोल क्लीनर एवं बैकटिरिया मुक्त क्लीनिंग का सामन उपलब्ध करायें। साथ सभी स्थानों पर सेनेटाईजर रखने की व्यवस्था करें।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की ओर इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि समस्त व्यवस्थाऐं आउट सोर्स के माध्यम से करना सुनिश्चित करवाये।

M.K Tiwari
कुलसचिव